झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–82 / 2020

जितेन्द्र सिंह उर्फ जितेन्द्र कुमार सिंह ....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए: ए0पी0पी0।

5 / 10.02.2020

पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता डाल्टनगंज शहर थाना काण्ड संख्या 371 / 2018 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 214 / 2019 में एक अभियुक्त है।

यह आरोप लगाया गया है कि जब सूचक का पुत्र स्कूल से वापस लौट रहा था, जहाँ वह अपने पोते को छोड़ने गया था, तो उसे कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। उसे इलाज हेतु ले जाया गया और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। किशोर राम और उसके परिवार के सदस्यों पर शंका व्यक्त किया गया और उसने यह कबुल किया कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की थी। इसलिए एक पेशेवर निशानेबाज प्रतीत होता

है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमें की प्रगति हो रही है और तीन गवाहों की जाँच की गई है।

उपरोक्त के संदर्भ में, मैं इस आवेदन को अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ और विचारण न्यायालय को विचारण तेज करने के आदेश के साथ इस आवेदन को खारिज किया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)